Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 16, Issue No. 5, April-2019, ISSN 2230-7540

वैवाहिक स्थिति में नारी यौन शोषण

Pradeep Kumar Mishra[1]* Piyush Tyagi[2]

[1] Department of Law, Dr. Bheem Rao Ambedkar University, Agra, U.P., India

[2] Department of Law, Dr. Bheem Rao Ambedkar University, Agra, U.P., India

सांराश – *भारत के बहुविध समाज में स्त्रियों का विशिष्ट स्थान रहा है। पत्नी को पुरूष की अर्धांगिनी माना गया है। वह एक विश्वसनीय मित्र के रूप में भी पुरूष की सदैव सहयोगी रही है। कहा जाता है कि जहां नारी की पूजा होती है वहीं देवता रमण करते हैं। वह पति के लिए चरित्र, संतान के लिए ममता, समाज के लिए शील और विश्व के लिए करूणा संजोने वाली महाकृति है। एक गुणवान स्त्री काँटेदार झाड़ी को भी सुवासित कर देती है और निर्धन से निर्धन परिवार को भी स्वर्ग बना देती है। वर्तमान भारतीय समाज का राजनीतिक नारा है 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ', मगर सामाजिक-सांस्कृतिक आकांक्षा है 'आदर्श बहू'। वैसे भारतीय शहरी मध्य वर्ग को 'बेटी नहीं चाहिए', मगर बेटियाँ हैं तो वो किसी भी तरह की बाहरी (यौन) हिंसा से एकदम 'सुरक्षित' रहनी चाहिए। हालांकि रिश्तों की किसी भी छत के नीचे, स्त्रियां पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं हैं। यौन हिंसा, हत्या, आत्महत्या, दहेज प्रताड़ना और तेजाबी हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। विवाह को मुस्लिम वैयक्तिक विवाह कानूनों में एक कानूनी समझौता मात्र माना जाता है ये कानूनी समझौता कभी भी समाप्त किया जा सकता है। इसमें विवाह को कहीं पर भी संस्कार नही माना गया है जैसा कि हिन्दू विवाह अधिनियम मे माना गया है कानूनी समझौता मूल रूप से अस्थायी प्रकृति का होता है जब कि संस्कार दो आत्माओं का मिलन माना गया है और ये जन्म - जन्मान्तर तक चलने वाला सम्बन्ध है इसको किसी तरह से निभाने की प्रवृन्ति हिन्दू समाज में वर्षो तक चलती रही है पर अब अनेक बाहरी प्रभावों के कारण इसमें परिवर्तन आता जा रहा है अब न तो ये रिश्ता पूर्ण रूप से स्थायी प्रकृति का ही रह गया है और न ही यह पूर्ण रूप से संस्कारित ही रह गया है स्थायी प्रकृति और संस्कारित प्रकृति का उलाहना देते हुए महिलाओं का ज्यादातर कभी - कभार पुरुष का भी शोषण होता आया है। ज्यादातर महिलाओं का ही शोषण होता आया है परन्तु बदलते परिवेश और सशक्तिकरण ने मनोदशा को काफी परिवर्तित कर दिया है। धारा-375 का एक मात्र अपवाद यह है कि पत्नी अगर 15-वर्ष से कम उम्र की नहीं है तो पति द्वारा अपनी पत्नी से किया जाने वाला संभोग बलात्कार नहीं है। गर्भवती होने, महावारी जारी होने या अस्वस्थता की स्थिति में पत्नी से उसकी मर्जी अथवा सहमति से सम्भोग का अधिकार सिर्फ उसके पति को हैं, पत्नी की व्यक्तिगत इच्छा का कोई अर्थ नहीं। पति जब चाहे पत्नी से अपनी काम पिपासा की तुष्टि कर सकता है। पुरूष को प्राप्त यह अधिकार निश्चय ही अमानवीय और पाश्विक है।*

इस शोध पत्र में हम विवाह की स्थिति में नारी द्वारा सहन किये जाने वाले यौन उत्पीड़न एवं नारी सशक्तिकरण का अध्ययन करेंगे।

---------------------------------X---------------------------------

प्रस्तावना

आए दिन हमारे समाज में महिलाओं के साथ हिंसा की खबरें आती रहती हैं. इनमें सबसे ज्यादा मामले घरेलू हिंसा के होते हैं. इन मामलों में महिलाओं के प्रति हिंसा देखने को मिलती है। आए दिन हमारे समाज में महिलाओं के साथ हिंसा की खबरें आती रहती हैं। इनमें सबसे ज्यादा मामले घरेलू हिंसा के होते हैं. इन मामलों में महिलाओं के प्रति हिंसा देखने को मिलती है आइए विस्तार से जानते हैं आखिर क्या है घरेलू हिंसा कानून किसी भी महिला के साथ घर की चारदिवारी के अंदर होने वाली किसी भी तरह की हिंसा मारपीट उत्पीड़न आदि के मामले घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के कानून के तहत आते हैं। यौन उत्पीड़न के मामलों में अलग कानून है लेकिन उसे इसके साथ जोड़ा जा सकता है. महिला को ताने देना, गाली देना, उसका अपमान करना उसकी मर्जी के बिना उससे शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करना, जबरन शादी के लिए बाध्य करना आदि जैसे मामले भी घरेलू हिंसा के दायरे में आते हैं। पत्नी को नौकरी छोडने के लिए मजबूर करना, या फिर नौकरी करने से रोकना दहेज की मांग के लिए मारपीट करना आदि भी इसके तहत आ सकते हैं ।

महिला यौन उत्पीड़न एक वैश्विक समस्या है। भारत में ही नहीं वरन् सम्पूर्ण विश्व में महिलाएं भेदभाव असमानता, दमन, शोषण एवं यौन उत्पीड़न आदि की शिकार रही हैं। लम्बे समय तक स्वयं महिलाओं में भी यह चेतना नहीं थी कि उन्हें इन स्थितियों का प्रतिकार करना चाहिये। पहली बार संगठित रूप से प्रतिकार का स्वर उठा अमेरिका में, जहाँ कल-कारखानों में कार्यरत कामकाजी महिलाओं ने अपनी कार्य-दशाओं में सुधार और समान वेतन तथा सुविधाओं के लिये आंदोलन किया और लम्बे संघर्ष के बाद सफलता प्राप्त की। धीरे-धीरे उनके आंदोलन की गूँज अन्य देशों में भी सुनाई दी और अमेरिकी महिलाओं की सफलता का दिन 8 मार्च, 'अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस' बन गया। भारत सहित अनेक देशों में इसे 'अन्तर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह' का रूप भी दे दिया गया लेकिन महिलाओं का शोषण कम नहीं हुआ। अमेरिका में ही एक बार फिर 'महिला मुक्ति' का आंदोलन छिड़ा और इसकी गूंज हमें भारत सहित अनेक देशों में सुनाई दी। यह आंदोलन जिस तेजी से उठा उसी तेजी से लुप्त भी हुआ। फिर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला दशक भी मनाया गया और संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में महिला प्रश्नों पर अनेक सम्मेलन हुए जिनकी परिणति 'बीजिंग कार्फ्रेस' की सिफारिशों के रूप में हुई। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है कि सिफारिशें आमतौर पर सिफारिशें ही बनकर रह गयी हैं और महिलाओं की स्थिति में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है। कम से कम भारत के स्वर 'नारी तुम केवल श्रद्धा हो' तथा 'आंचल में है दूध और आँखों में पानी' वाली स्त्री छवि आज भी बरकरार है। तथ्य इसी बात की पुष्टि करते है।

वर्तमान में भूमण्डलीकरण के दौर में भारतीय महिला के सामने महत्वपूर्ण समस्या कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की है जिनका महिलाओं को अपने दिन-प्रतिदिन के जीवन में सामना करना पड़ता है।

लिंग के आधार पर समानता निश्चित करने के लिए व मानव अधिकारों को लागू करने के लिए यौन उत्पीड़न, दुर्व्यवहार के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने के लिए विशेष कर काम की जगहों पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए कोई भी कानून नहीं था। अतः इसका ध्यान रखते हुए मा0 उच्चतम न्यायालय ने 'महिलाओं के विरुद्ध हर तरह के भेदभाव को समाप्त करने के लिए प्रथाओं (Convention on the Elimination of all form Discrimination Against Women) में से बहुत सारे उपबन्धों को भारतीय संविधान में समाविष्ट किया है। मा0 उच्चतम न्यायालय ने विशाखा बनाम राजस्थान राज्य ए0आई0आर0 1997 सु0को0 3011 में यह भी निर्धारित किया कि इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों को प्रत्येक काम करने के स्थानों व अन्य संस्थाओं में पालन किया जाएगा। मा0 उच्चतम न्यायालय ने इन सिद्धान्तों का प्रतिपादन अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को लागू कराने की शक्तियों के अंतर्गत किया। मा0 उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर भी बल दिया कि यह मार्गदर्शक सिद्धान्त संविधान के अनुच्छेद 141 के अन्तर्गत अदालत द्वारा कानूनों के रूप में मान्य होंगे।

भारत में महिलाओं का यौन शोषण

प्रत्येक दिन राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड व्यूरो के अनुसार 2007 में 20,737 मामले महिला यौन उत्पीड़न के दर्ज हुए। महिलाओं के प्रति हुए अपराधों में 11 प्रतिशत मामले बलात्कार से सम्बन्धित पाये गये। अखिल भारतीय स्तर पर यौन उत्पीड़न के मामलों में गिरावट आयी है, लेकिन प्रादेशिक और जिला स्तर पर उत्पीड़न मामले में क्रमशः वृद्धि दर्ज की गयी है। महिला यौन उत्पीड़न के मामले में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, जबकि आन्ध्रप्रदेश का दूसरा स्थान है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्यप्रदेश, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, गुजरात और मातृसत्तात्मक समाज व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करने वाला भारतीय राज्य केरल भी महिला यौन उत्पीड़न के मामले में शीर्ष दस में शामिल है। हमारे देश में अधिकांश स्त्रियों को विभिन्न प्रकार के यौन उत्पीड़नों का सामना करना पड़ता है और दुर्भाग्य की बात यह है कि अधिकतर महिलाएँ यौन उत्पीड़न को चुपचाप स्वीकार कर लेती हैं, उनका मन तो चीत्कार करता है लेकिन अपनी कुछ मजबूरियों के चलते वे कुछ कह नहीं पाती हैं। एक निजी कार्यालय में अधिकारी सुमित कहती हैं कि, "धीरे-धीरे हम महिलाएँ उसको सहन करना सीख लेती हैं, यदि हम उसे विवाद का विषय बनाएँ तो उत्पीड़न और अधिक बढ़ जाएगा, यहाँ तक कि हमारे कैरियर की राह में भी कई रोडे आ सकते हैं और अगर हम विरोध करें भी तो किसके सामने। इसके अलावा परिवार के विरोध, अनिवार्यतः होने वाले चरित्र हनन और अप्रिय पुलिस कार्यवाही को तो भुगतना ही पड़ता है और इन सबके बावजूद इस बात की कोई गारंटी नहीं कि हमें इंसाफ मिल ही जाएगा।" वस्तुतः पुलिस और कानूनी तन्त्र के प्रति कामकाजी महिलाएँ इतनी शंकालु हैं कि वह चाहकर भी पुलिस के पास नहीं जाती है।

यौन उत्पीड़न के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही का रास्ता जिन थोड़ी बहुत महिलाओं ने अपनाया भी, अन्ततः उन्हें भी निराशा ही हाथ लगी। विभिन्न कार्यालयों में महिलाओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, इसे आसानी से कहीं भी देखा जा सकता है। कई बार पुरुषों द्वारा महिला कर्मियों के सम्मुख इस तरह की अश्लील बातें अप्रत्यक्ष रूप

www.ignited.in

से की जाती हैं कि महिलाकर्मी सार्वजनिक रूप से अपने आपको अपमानित महसूस करती है। पग-पग पर महिलाओं को उनके 'महिला' और 'भोग्या' होने का अहसास कराया जाता है। कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न का एक दुःखद पहलू यह है कि यदि कोई पीड़ित महिला यौन-दुव्र्यवहार के प्रति आवाज बुलन्द करती है तो नुकसान उसे ही उठाना पड़ता है, उस पर तरह-तरह के आरोप लगाए जाते हैं और तो और विरोध की स्थिति में पुरुष सहकर्मियों की तो बात ही छोड़िए, महिला सहकर्मी भी साथ देने को तैयार नहीं होती हैं।

विवाह के बाद नारी का यौन शोषण

हर रोज महिलाओं को थप्पड़ों लातों की पिटाई, अपमान, धमकियों, यौन शोषण और अनेक अन्य हिंसात्मक घटनाओं का सामना करना पड़ता है। यहां तक कि उनके जीवन साथी या उसके परिवार के सदस्य उनकी हत्या कर देते हैं। इन सबके बावजूद हमें इस प्रकार की हिंसा के बारे में अधिक पता नहीं चलता है क्योंकि शोषित व प्रताड़ित महिलाएं इसके बारे में चर्चा करने से घबराती, डरती व झिझकती हैं। अनेक डॉक्टर्स, नर्से व स्वास्थ्य कर्मचारी हिंसा को एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या के रूप में पहचानने में चूक जाते हैं।आज का समय एक ऐसा समय है जहां हम खुलकर जीने की सोचते हैं और स्वतंत्र मन से हर काम करना चाहते हैं तथा यह अपेक्षा करते हैं कि इसमें परिवार व समाज हमारा साथ दे। लम्बे समय से जिस प्रकार से समाज में गरीब और अमीर के मध्य एक बड़ा अन्तर रहा है, उनमें असमानताएं रहीं है उसी प्रकार स्त्री पुरुष के मध्य भी एक बड़ी खाई रही है। स्त्रियों को सदियों से पुरूषों की अपेक्षा कम स्वतंत्रता प्राप्त रही है, उनके अधिकारों से उन्हें सदैव वंचित करने का नियम व षडयंत्र रचा जाता रहा है। स्त्री को पुरुष के बराबर अधिकार कभी नहीं दिए गए, चाहे वे आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनैतिक हो अथवा सांस्कृतिक हो। राजनीतिक एवं सामाजिक निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी बेहद कम है। स्त्री हर जगह शोषण की शिकार होती दिखाई पड़ती हैं। बाल विवाह, सती प्रथा, दहेज प्रथा, यौन उत्पीड़न, लूट आदि बर्बर सामाजिक दंश को स्त्री ने ही भोगा है। जिस भी स्त्री के साथ बलात्कार होता है, वह कौमार्य अथवा सतीत्व-भंग की क्षति ही नहीं सहती बल्कि गहन भावनात्मक दंश, मानसिक वेदना, भय, असुरक्षा और अविश्वास प्रायः आजीवन उसका पीछा नहीं छोड़ते। कड़े और बेहतर कानून पारित हो जाने के बाद भी, जघन्य दुष्कर्मो की संख्या बढ़ती ही जा रही है।विवाह के बाद भी कभी कभी उन्हें अकेलेपन, अनमेलपन, मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के भय का सामना करना पड़ता है।

वैवाहिक स्थिति में यौन शोषण के प्रकार

मोटे तौर पर तीन प्रकार की हिंसा जो लगभग महिलाओं पर की जाती है को कानून के दायरे में रखा गया है ये (1) शारीरिक हिंसा, (2) यौन लैंगिक हिंसा, (3) मौखिक व भावनात्मक हिंसा।

शारीरिक हिंसा

भारतीय दंड सहिंता की धारा 323, 324, 325, 326, 326क, 326ख के अनुसार कोई ऐसा कार्य या व्यवहार, जो इस प्रकृति को हो, जिससे शरीर में दर्द हो, चोट लगे या स्वास्थ्य का, जान को खतरा हो या दुःखी व्यक्ति के विकास पर खतरा हो, जिसमें हमला तथा आपराधिक बल का प्रयोग शामिल है, शारीरिक हिंसा कहलाती है। उदाहरणार्थ मारपीट करना, थप्पड़ मारना, ठोकर मारना, दाँत से काटना, अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छया घोर उपहति कार्य करना, अम्ल फेंकना या अम्ल फेंकने का प्रयास करना लात मारना, मुक्का मारना, धक्का मारना, धकेलना, किसी अन्य रीति से शारीरिक पीड़ा या क्षति पहुँचाना।

यौन लैंगिक हिंसा

लैंगिक सम्बन्धी कोई भी व्यवहार जो पीड़ित व्यक्ति के सम्मान को नुकसान पहुँचाता हो, उसे ग्लानि अनुभव कराता हो, उसके साथ दुव्र्यवहार करता हो। पीड़ित व्यक्ति की मर्जी या इच्छा के विरुद्ध सम्भोग करता हो तथा परिवार नियोजन के तरीके जहाँ अपनाना जरूरी हो वहाँ मना करता हो, अश्लील साहित्य या अन्य कोई तस्वीरों या सामग्री को देखने के लिए मजबूर करता हो। भारतीय दंड सहिंता की धारा 354, 354क, 354ख, 354ग, 354घ, 376, 376क, 376ख, 376ग, 376घ लैंगिक हिंसा की श्रेणी में आता है। धारा 354 के अन्तर्गत रूपन देवल बजाज बनाम के. पी. एस. गिल (ए. आई. आर 1999 सु. को. 309) बहुत ही चर्चित वाद रहा है इस मामले में के. पी. एस. गिल, भू. पूर्व पुलिस महानिदेशक, पंजाब राज्य ने एक सांध्य भोज में अभियोक्ति श्री मती रूपन देवल बजाज (आई. ए. एस. अधिकारी) की कमर के निचले भाग को थपथपाया जिससे क्षुब्ध होकर श्री मती बजाज ने श्री गिल के विरूद्व धारा 354/294 के अन्तर्गत उनकी लज्जा भंग करने के आशय से आपराधिक बल प्रयोग का आरोप लगाते हुए आपराधिक मुकदमा चलाया। मा. उच्चतम न्यायालय ने अभियुक्त को उक्त अपराध के लिए दोषी मानते हुए कारावास के दण्डादेश को उचित ठहराया।

मौखिक और भावनात्मक हिंसा

भावनात्मक और मौखिक हिंसा के अन्तर्गत महिला या पीड़ित का अपमान करना, गालियाँ देना, चरित्र और आचरण पर दोषारोपण, पुरुष सन्तान न होने के लिए अपमान करना, बिना मर्जी के विवाह करने के लिए मजबूर करना तथा पसन्द के व्यक्ति से विवाह करने से रोकना, आत्महत्या करने की धमकी देना, मजाक उड़ाना जैसे भावना को ठेस पहुँचाने वाले व्यवहार को इस श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। गौर से देखें तो तकरीबन मसला मारपीट, जबरदस्ती यौन सम्बन्ध स्थापित करना, महिला व बच्चों को भरण-पोषण के लिए पैसा नहीं देना, उन्हें अपने ही वेतन का उपभोग नहीं करने देना, घर से निकाल देना, उसके चरित्र व कार्यों पर आक्षेप पैदा करने के लिए ताने देना तक शामिल है।

जहाँ किसी स्त्री ने फोटो खींचने की सम्मति दे दी है फोटो को किसी भी अन्य को प्रसारित करने की सम्मति नहीं दी है, अगर फोटो प्रसारित कर दी जाती है तो अपराध 354ग स्पष्टीकरण-2 भारतीय दंड सहिंता के अन्तर्गत होगा।

नारी सशक्तीकरण के लिए उठाये गये कदम

समाज का स्वरूप अब बदल रहा है। नारी शिक्षित और जागरूक हो रहीं हैं। शोषण और उपेक्षा के खिलाफ लड़ने के लिए उनमें साहस और चेतना अपनी जगह बना रहा है। लेकिन अभी भी समाज के पुरूष वर्ग द्वारा स्त्री का कई स्तरों पर (भावनात्मक, शारीरिक व मानसिक) शोषण किया जा रहा है जिसके लिए उनकी आर्थिक विपन्नता, अशिक्षा व साहस में कमी बहुत हद तक जिम्मेदार है। स्त्री कों भी आज के समाज में वे सभी अधिकार मिलने चाहिए जो पुरूषों को प्राप्त हैं। हम स्त्री हैं तो स्त्री को मात्र वस्तु अथवा अवसर के रूप में ना देखा जाए क्योंकि जैसा सबका समाज है वैसा ही समाज हमारा भी तो है फिर ये भेदभाव क्यों - शास्त्रों में तो लिखा है - पत्नी, पुरुष का आधा भाग है (फिर वह स्त्री होने का दुःख लेकर क्यों झेलती है?) तथा शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता रमण करते हैं। पर आज के देवता (तथाकथित पुरूष वर्ग) भेड़िये की तरह हो गए हैं जो अवसर की तलाश में घात लगाए रहते हैं, पूजा करने की बात तो अकल्पनीय है।

प्राचीनकाल (मातृसत्तामक समाज) में नारी का हर प्रकार से सम्मान था। परन्तु उत्तर वैदिक काल में उनकी दशा आज की नारी दशा से मिलती जुलती दिखाई पड़ती है। समय जैसे-जैसे करवटें बदलता गया स्त्री की सामाजिक दशा और भी दयनीय होती चली गई। बौद्ध काल में भी स्त्री भोग्यामात्र ही समझी गई। मुसलमानों (मुगलों) आदि के शासनकाल में स्त्रियों की स्थिति मात्र मनोरंजन और भोगविलास की वस्तु के रूप में ही रहा उसके सारे सामाजिक अधिकार छीन लिए गए, यहां तक सन्तों ने भी स्त्री मन को चोट पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने नारी को - माया, ठगनी, अवगुणों की खान आदि कहकर सम्बोधित किया। हिन्दी साहित्य में रीतिकाल खण्ड को देखते ही बनता है। जिसमें स्त्री के केवल मांसल रूप को ही प्रमुखता प्रदान की गई है अर्थात नारी की स्थिति मात्र सौन्दर्य और मांसलता की मूरत में ही मान ली जाती है। परन्तु आधुनिक काल में स्त्रीवादी आंदोलन एक बड़ा रूप लेती है जो कि स्त्री को घर की चारदिवारी व चूल्हा - चैका से निकालकर उसके अस्तित्व का उसे बोध कराती है। आज की नारी अपने अधिकारों के प्रति सजग व सचेत रहना चाहती है वह केवल श्रद्धा बनकर नहीं बल्कि पुरूष के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की और हर काम को पूर्ण मनोयोग से करने की हौसला रखती है।

समाज में समानता और समता महिलाओं के सशक्तिकरण द्वारा ही सम्भव है परन्तु सशक्तिकरण से तात्पर्य यह नहीं की वे पुरूष बन जाए और ना ही ये कि पुरूषों को महिला बना दिया जाए बल्कि पितृसत्तामकता जाए। पुरूषों तथा स्त्रियों के मध्य कर्तव्यों और अधिकारों का बटवारा एक समान रूप से होना चाहिए मगर देखा जाए तो वर्तमान में नारी मुक्ति आंदोलन की गूँज एक तरफ और नारी अस्मिता की वास्तविकता दूसरी तरफ है। हमारे विचार, हमारा हौसला ही तरह-तरह के रीति.रिवाज, बन्धनों को तोड़ सकता है जो स्त्री पथ की बाधक बनी हुई है।

महिलाओं के इन संघर्षमयी प्रयासों ने ही पुरुषवादी समाज को महिला सशक्तिकरण हेतु विवश किया। कई वैधानिक व संस्थागत प्रयासों के द्वारा महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर उनके व्यक्तित्व विकास की अपार सम्भावनाओं के द्वार खुले हैं। उनके प्रति होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध उन्हें कानूनी संरक्षण दिया गया है। इन प्रयासों के द्वारा हमने समाज में महिलाओं को सम्मान व सुरक्षा देने की व्यवस्था तो कर दी लेकिन उस आधार को पीछे छोड़ दिया जहाँ से समाज बनता है और समाजीकरण का प्रारम्भ होता है अर्थात् परिवार जो एक घर में बसता है और इस घर से ही महिला को महिला होने का बोध कराने की प्रक्रिया का प्रारम्भ होता है। विभिन्न कानूनी प्रयासों के द्वारा महिलाओं को उत्पीड़न से मुक्त जीवन देने का प्रयास किया गया किन्तु न जाने क्यों महिला और हिंसा का साथ शरीर

और उसकी छाया जैसा है जो उसका साथ ही नहीं छोड़ती अर्थात् घर की चहार दीवारी में यौन शोषणकी एक नयी प्रथा उजागर हुई जिसका नामकरण घरेलू यौन शोषणके रूप में किया गया।

घरेलू यौन शोषण से नारी का सशक्तीकरण

"महिला के सशक्तिकरण की प्रक्रिया घर से प्रारम्भ होती है। लड़की को अगर कोख से कब्र तक हिंसा सहनी पड़ी तो वह नागरिक अधिकार से वंचित होती है। उसका स्वतन्त्र अस्तित्व समाप्त होने लगता है। ऐसा नही है कि घरेलू यौन शोषण पहले नहीं होता था, वरन् पहले महिलाएँ घर में होने वाले अत्याचार को अपना भाग्य मानकर स्वीकार कर लेती थीं, किन्तु आज यह महिला सम्बन्धी कानूनों व महिला जागरूकता का ही परिणाम है कि घरेलू यौन शोषण जैसी घटनाएँ सामने आने लगीं। इस तरह का यौन शोषण से महिलाओं को संरक्षण देना भी एक आदर्श लोकतान्त्रिक देश का कर्तव्य बनता है, जिसके तहत भारत में घरेलू यौन शोषण से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 निर्मित कर घर में महिला संरक्षण की व्यवस्था की गयी है।" "घरेलू हिंसा एक गम्भीर व व्यापक समस्या है जो विकसित एवं अविकसित दोनों तरह के राष्ट्र को प्रभावित करती है।

निष्कर्ष

अब आवश्यक हो गया है कि महिलायें अपने अधिकारों को जाने, निर्भया कांड के बाद आपराधिक कानूनों अर्थात भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनीयम 1872, दंड प्रक्रिया में परिवर्तन किये गये है जो कि सराहनीय हैं। महिला सशक्तिकरण के कारण अब महिलायें वैवाहिक स्थिति में यौन शोषण को बर्दास्त करने वाली नहीं हैं, यह परिवर्तन स्वागत योग्य है। अपनी अस्मिता व आत्मसम्मान की रक्षा के लिए पुरुषवादी समाज के सामने महिला अपने वजूद को तलाश रही है, उसकी यह खोज सदियों से चली आ रही है। वह माँ, बेटी, बहन, पत्नी की इन भावनात्मक बन्दिशों से पृथक, एक स्त्री के रूप में अपनी पहचान को तलाश रही है। महिला आन्दोलन व संघर्ष का यही उद्देश्य रहा है कि उसे पुरुष के साथ जुड़ने वाले हर रिश्तों से पृथक् समाज में सम्मानीय स्थान मिले, उसे कमजोर, असहाय समझकर उस पर तरस खाने वाली निगाहों से उन्हें मुक्ति मिले। इसी आत्मसम्मान को पाने के लिए जब महिलाएँ संगठित हुई तो उनके संघर्ष की कहानी का एक नया इतिहास रचा जाने लगा। आज भूमंडलीकरण के दौर में प्रगतिशीलता के नाम पर शोषण के नये नये आयाम समाज में स्त्री को अपना यथोचित स्थान प्राप्त करने के लिए स्वयं ही आगे आना होगा, जिसके लिए उसे शिक्षित,जागरूक और स्वावलम्बी होने की दशा व दिशा का निर्माण स्वयं करना होगा। नारी तुम शक्ति का अवतार हो, फिर क्यों सहती अत्याचार हो।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. कौशिक आशा, नारी सशक्तिकरण विमर्श एवं यथार्थ, जयपुर, 2004, पृ. 131
2. सुधा, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण विधि, नई दिल्ली, 2009, पृ. 11
3. अवस्थी सुधा, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण विधि, नई दिल्ली, 2009, पृ. 5
4. प्रसाद दिनेश, सचिव, महिला चेतना ग्रामीण विकास केन्द्र, हाशिये की आवाज, नई दिल्ली, जनवरी 2010, पृ. 37
5. अवस्थी सुधा, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण विधि, नई दिल्ली, 2009, पृ. 31
6. विशाखा बनाम राजस्थान राज्य ए0आई0आर0 1997 सु0को0 3011
7. डॉ0 संजय गर्ग, (स्त्री विमर्श का कालजयी इतिहास, सामवयक प्रकाशन नई दिल्ली, संस्करण, 2014
8. (पत्रिका) योजना, नारी सर्विकरण, अंक 9, दिसंबर 2016
9. रूपन देवल बजाज बनाम के0पी0एस0 गिल(ए. आई. आर. 1999 सु. को. 309)
10. भारतीय दंड संहिता दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा संशोधित।
11. घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005।
12. वैवाहिक विवाद-कानून सलहाकारिता और समाधान-ममता सहगल, अनुवाद कर्ता निर्मला शेरजंग
13. निर्भया काण्ड -2012 जिसने देश के आपराधिक कानूनों में सन् 2013 में परिवर्तन करा दिया

Corresponding Author

Pradeep Kumar Mishra*

Department of Law, Dr. Bheem Rao Ambedkar University, Agra, U.P., India

pradeepadvocate10@yahoo.com